172 69 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जहाँ सीडी ए पैटर्न का अनुसरण किया गया है, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण–वित्त मंत्रालय की तारीख 30 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना द्वारा यथा अधिसूचित केन्द्रीय सिविल सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियमावली, 1997 की प्रथम अनुसूची के भाग ख में समाविष्ट पुनरीक्षित वेतनमानों पर स्पष्टीकरण।

इस विभाग के तारीख 24 अक्टूबर, 1997 का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा चूंकि यह प्रमाणित किया जा चुका है कि भले ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सी डी ए पैटर्न के कर्मचारी केन्द्र सरकार के वेतनमानों पर होते है, भर्ती, योग्यता, पदोन्नति नीति, विभिन्न अनुलब्धियां सेवानिवृत्तियों हितलाभ आदि के विषय में उनकी पर्णकालिक अवधि केन्द्र सरकार के कर्मचारी से तुलनीय या उसके समान नहीं है, तथा उसी रूप में, तारीख 30 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना की प्रथम अनुसूची के भाग ख में समाविष्ट विशिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सी डी ए पैटर्न कर्मचारियों के संबंध में बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। ऐसे मामले में तारीख 30 सितम्बर, 1997 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' में यथा समाविष्ट हाने वाले केवल सामान्य प्रतिस्थापन वेतनमान ही दिए जा सकते है।

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से निवेदन है कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जहाँ सी डी ए पैटर्न का अनुसरण किया गया है, को उपर्युक्त जानकारी और आवश्यक कार्यवाई हेतु ध्यान में लाएं।

(लोक उद्यम विभाग का तारीख 12 मार्च, 1999 का कार्यालय ज्ञापन 2(42)/97–लो.उ.वि. (डब्ल्यूसी)